



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर
108/11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर -246701

सन्दर्भ सं० : 1138/D-1/जनरल-2015

दिनांक : 02-7-2015

सेवा में,

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
बिजनौर।

विषय-मेसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, मुरादाबाद के ग्राम-अजीमुल्ला नगर, तहसील-धामपुर, जनपद-बिजनौर के गाटा सं०-449(Part) में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक-1376/बीस आयुध सहायक दिनांक-04 जून, 2015 जोकि इस कार्यालय में दिनांक-05.06.2015 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार मेसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, मुरादाबाद के ग्राम-अजीमुल्ला नगर, तहसील-धामपुर, जनपद-बिजनौर के गाटा सं०-449(Part) में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के 1×20 के०एल० (एम०एस०) तथा 1×20 के०एल० (एम०एस०) टैंकों के भण्डारण देत ०२ सं० टैंकों की स्थापना किया जाना पर्यावरण के पूर्व दिशा में अफजलगढ़-कालागढ़ रोड, पश्चिम दिशा में खाली प्लाट, उत्तर दिशा में श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री विरेन्द्र सिंह का प्लाट तत्पश्चात् लगभग 100 मीटर की दूरी पर ग्राम-अजीमुल्ला नगर की आबादी तथा दक्षिण दिशा में श्री हरशोधन शर्मा का खाली प्लाट स्थित है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त क्षमता के अन्डरग्राउण्ड टैंकों की स्थापना निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है :-

1. इकाई द्वारा पेट्रोलियम टैंकों का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथासंभव दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
2. पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।
3. प्रस्तावित 20 के०वी०ए का डी०जी सेट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं०-जी.एस.आर 371 (ई) दिनांक-17.05.02 व जी.एस.आर 448 (ई) दिनांक-12.07.04 के अनुसार एकाउस्टिक इन्व्लोजर तथा एग्जास्ट मफलर सहित स्थापित किया जाए।
4. इकाई पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।
5. आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,

(ए०के०तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी